

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

अधि० सं०-३/सी०एस०/एम०/मं०नि०-०१/२०२४ पटना-१५, दिनांक-२६ फरवरी, २०२५
भारत के संविधान के अनुच्छेद १६४(१) में निहित प्रावधान के अंतर्गत डॉ० दिलीप कुमार जायसवाल दिनांक-२६.०२.२०२५ के पूर्वाह्न के प्रभाव से बिहार राज्य के मंत्री तथा मंत्रिपरिषद् के सदस्य नहीं रहे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(अमृत लाल मीना)
मुख्य सचिव

ज्ञापांक-३/सी०एस०/एम०/मं०नि०-०१/२०२४-२३७ पटना-१५, दिनांक-२६ फरवरी, २०२५

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-३/सी०एस०/एम०/मं०नि०-०१/२०२४-२३७ पटना-१५, दिनांक-२६ फरवरी, २०२५

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/विकास भवन/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-३/सी०एस०/एम०/मं०नि०-०१/२०२४-२३७ पटना-१५, दिनांक-२६ फरवरी, २०२५

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित।

२. अनुरोध है कि इसकी मुद्रित २०० (दो सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-३/सी०एस०/एम०/मं०नि०-०१/२०२४-२३७ पटना-१५, दिनांक-२६ फरवरी, २०२५

प्रतिलिपि-आई० टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव